

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-119 / दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 01 जुलाई, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री उमेश प्रताप सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन एवं अतिरिक्त कार्यभार मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत अभियान, लखनऊ को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए निदेशक, सूडा, उ0प्र0 लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

- 2— श्री सिंह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3— नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

४८८
(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

- उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
- 1— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
 - 2— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
 - 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
 - 4— निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
 - 5— अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
 - 6— नियुक्ति अनुभाग-7
 - 7— संबंधित अधिकारी।
 - 8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
४८८
(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-120 / दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 01 जुलाई, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री चन्द्र पाल, नगर मजिस्ट्रेट, झांसी एवं अतिरिक्त कार्यभार कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, इलाहाबाद के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— श्री चन्द्र पाल प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2— कुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
- 3— जिलाधिकारी, झांसी।
- 4— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन।
- 5— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र०शासन।
- 6— निजी सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र०शासन।
- 7— अनुसचिव, इरला (व०प०प्र०), उ०प्र०शासन।
- 8— नियुक्ति अनुभाग-7
- 9— संबंधित अधिकारी।
- 10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-121 / दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 01 जुलाई, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री शिशिर, विशेष सचिव, भाषा विभाग, उ0प्र0 शासन अतिरिक्त कार्यभार निदेशक, हिन्दी संस्थान, लखनऊ को उनके कार्य के साथ-साथ निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पद का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जाता है। उक्त अतिरिक्त कार्य के लिए श्री शिशिर को कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

४८१
(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भाषा/संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 4— निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 5— अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 6— नियुक्ति अनुभाग-7
- 7— संबंधित अधिकारी।
- 8—गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
४८१
(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-122 / दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 01 जुलाई, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अजय कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी, बाराबंकी को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

- 2— श्री सिंह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि निर्धारित समय के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3— नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

८८८
(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2— जिलाधिकारी, वाराणसी / बाराबंकी।
- 3— नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
- 3— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन।
- 4— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति विभाग, उ०प्र०शासन।
- 5— निजी सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र०शासन।
- 6— अनुसचिव, इरला (व०प०प्र०), उ०प्र०शासन।
- 7— नियुक्ति अनुभाग-7
- 8— संबंधित अधिकारी।
- 9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
८८८
(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।